

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकड्डा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक

वाद संख्या : 117 / 2026-21 2017

लेख्य प्रकार- संदेहात्मक जमाबंदी


3.11.20

अभिलेख का संधारण E-Court (Revenue) में लयित वाद के विरुद्ध किया गया। उपरोक्त वाद से संबंधित अभिलेख का संधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। कार्यालय के नय भवन में हस्तांतरण के क्रम में अभिलेख अचल रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण पुनः सृजन किया गया। अपर सनाहर्ता, हजारीबाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एवं निर्देशन भू-अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग क पत्र सं0-03-खा0न0 नौति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुदेश/निर्देश के अनुपालन में गै0 न0 खास भूमि के विरुद्ध कायम की गई जनाबंदीयों को जाँच के क्रम में राजस्व उप नि0 एवं अचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नवत् गै0 न0 खास भूमि की जनाबंदी कायम है।

गाम	खाता	खसरा	रकबा	जनाबंदीदार	पंजी-2 का
<u>कोठारपुर</u>	01	-	6.24 रु	रयत का नाम <u>श्री दीप प्रसाद मिश्रा</u> पिता <u>श्री मिश्रा</u>	पृ0सं0/भाग 140/1

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने उपरोक्त वर्णित जनाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।


अतः संबंधित को संधारित जनाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 29.11.20 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
बरकड्डा

23.11.20

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तामिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/स0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074, दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में जाँच की गई। जनाबंदीदार रयतों द्वारा संदेहात्मक जनाबंदी के विरुद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का इकुननामा, वर्ष 1955-56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारी स्तर पर किये गये बंदोबस्ती संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) में विहित प्राधानुसार जनाबंदी सं0 140/1 बनाने श्री दीप प्रसाद मिश्रा को संदेहात्मक मानते हुए रद्द करने की अनुमति की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप सनाहर्ता बरहो को भेजें।


अंचल अधिकारी
बरकड्डा


संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम - सहक. मिर्जापुरि. बाली- मिर्जापुर
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण - प्लॉट नं. 29725

मौजा	थाना स०	खाता स०	प्लॉट स०	रकबा
<u>कोनहरा खुर्द</u>	<u>99</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>0.24 ए०</u>

3. जमाबंदी पंजी-11 के जिल्द संख्या 1 पृष्ठ स०-140 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 1978-79
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खतदार का नाम - श्री. खारि
6. किस राक्षन प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है आदेश दिये नहीं हैं!
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम - ---
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनियमित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूयदावस्ती - ---
9. संदेहास्पद जमाबंदी को जाँच क्रिये आवश्यक प्रक्रिया से की गई (मूलभूत जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोवस्ती पत्र / लगान निर्धारण पत्र / भू-हस्तांतरण पत्र) पंजी-11 सं
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अतिरिक्त जमाबंदी रकबा संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	पत्र निर्गत तिथि	वर्ष
	<u>163929</u>	<u>10.1.10</u>	<u>2010-11</u>

अवेध जनाबन्दी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला
चक्र सिल

1. जिला एवं अंचल का नाम - ह. वा. वा. अंचल
 2. क) अवेध जनाबन्दीदार का नाम - सदीक गिनिफो अली मिर्जा
 ग) अवेध जनाबन्दी की भूमि की विवरणों -

क्र.सं.	प्लान नं०	खारिज नं०	खतरा नं०	रकबा	खतिबानो त्रिविष्टि	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
<u>कौनदर २९६</u>	<u>११</u>	<u>१</u>	<u>-</u>	<u>०.२५</u>	<u>गं० खा०</u>	<u>गं० खा० की १६वा २५ ६ ० १ ० १० खा० के सभी भू-२५५३ ५२ २९६१११ के गिरा अंगठ ६५ ६।</u>

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप - घर
 4. अवेध जनाबन्दी पंजी II में कब से संधारित है - १९७८-७९
 5. उक्त जनाबन्दी पंजी II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम - आहेज देव मली ४।
 (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।
 6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज उपरान्त संधारित जनाबन्दी के मामलों में मूल जनाबन्दी रैयत की विवरणों -
 7. अवेध जनाबन्दी कायम किये जाने का आधार
 i) अनिर्दिष्ट सादा हुकुमनामा ५
 ii) लगान निर्धारण तथा उसका दर्ष (बाद सं० एवं पारित आदेशानुसार) ५
 iii) अवेध भू-बन्दोवस्ती (बाद सं० के साथ) ५
 8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादत पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (१००/- रुपये कम या इससे अधिक) ५
 9. अवेध जनाबन्दी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है -
 i) भूत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से - ५
 ii) अंचल / अनुमंडल में संधारित बन्दोवस्ती पंजी से - पंजी II से
 iii) दाखिल-खारिज/भू-हस्तांतरण/नामान्तरण पंजी से - पंजी II से
 10. क) अवेध जनाबन्दी क्या दिनांक ०१.०१.१९४६ के पूर्व से कायम है? नहीं
 11. क्या दिनांक दिनांक ०१.०१.१९४६ के बाद से १९५५-५६ तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? नहीं
 12. वर्ष १९५४-५५ में हुए गिरल पुजारत पंजी में डखल कब्जा अवेध जनाबन्दीदार अथवा उनका पूर्वजों का नाम अंकित था? नहीं
 13. राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुरोधा सहित - आवेध भूमि गं० खा० खाते की है
 14. अवेध निरीक्षण का स्थलीय जाँच/सजाज मन्दाब सहित स्पष्ट प्रतिवेदन - आवेध भूमि गं० खा० खाते की है। प्राधिकार कोठारों में
गं० खा० के प्रतिवेदन के स्पष्ट रूप से आगे का स्पष्ट प्रतिवेदन है। प्राधिकार कोठारों में
स्पष्ट रूप से आगे का स्पष्ट प्रतिवेदन है। प्राधिकार कोठारों में
आवेध भूमि गं० खा० खाते की है। प्राधिकार कोठारों में

अवेध जनाबन्दी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चक्र सिल
 भूमि सुधार उपसमिति अनुमंडल नं० ०५ अवर सहायक जमीन सुधार अधिकारी